

21/2/26 पत्रावली पेश हुई अर्थात् धु. सावपुर हुकूम
अनु. 1 अर्थात् गण के विरुद्ध एक पत्रावली कार्रवाई
अमल में जारी जारी है पत्रावली वास्ते खहम
दि 6/3/26 को पेश हो।

५५

6/3/26 पेशोका सरकार उप. | बहम आठ पत्र हुनी अर्थात्
पत्रावली वास्ते आदेश दि. 17/3/26 को पेश
हो।

५५

17/3/26 पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुई। पेशोका सरकार उप. /
आ पत्र प्राची करीब काट दिया जाता है विस्तृत निर्णय
हुकूम से किया जाकर शा. मि. दिया गया। निर्णय
की एक प्रति तहसीलदार ताबेरा को पासनाल तैयारी जावे।
पत्रावली फैसल सुमार दोकत नम्बर से कम है बाद
तामिल तहसील निदमादुसाट जारी कर रफ्तार हो।

५५

न्यायालय उपसंह अधिकारी तालेडा जिला (बून्दी)
पीछलीन अधिकारी श्रीमती मनस्वी नरेश R.A.S

मिसल नं०

299/प्र०पत्र/2025

तारीख वाचरा

03.02.2025

तारीख फैसला

17.03.2026

राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार तालेडा जिला बून्दी

प्रार्थी

बनात

1. गणेश आ० मोतीलाल हिस्सा 1/2 जाति माली निवासी लाम्बापीपल तह० तालेडा
2. मांगीलाल आ० मोतीलाल हिस्सा 1/2 जाति माली निवासी लाम्बापीपल तह० तालेडा

अप्रार्थी

उपरिखत अधिवक्ता

अभिभाषक प्रार्थी - पेटोकार सरकार

अभिभाषक अप्रार्थीगण-

:: निर्णय ::

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

प्रार्थी तहसीलदार तालेडा द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत कर अंकित किया कि ग्राम लाम्बापीपल पटवार मण्डल रघुनाथपुरा तहसील तालेडा की आराजी खसरा संख्या 547/422 रकबा 0.4937 हेक्टे० किस्म नहरी 1 भूमि खातेदार गणेश आ० मोतीलाल हिस्सा 1/2 जाति माली निवासी लाम्बापीपल तह० तालेडा व मांगीलाल आ० मोतीलाल हिस्सा 1/2 जाति माली निवासी लाम्बापीपल तहसील तालेडा जिला बून्दी के नाम भूमि राजस्व रेकार्ड मे दर्ज है। जिसकी जमाबन्दी संलग्न है। मुताबिक रिपोर्ट पटवारी हक्का रघुनाथपुरा अप्रार्थीगण द्वारा लाम्बापीपल पटवार मण्डल रघुनाथपुरा तहसील तालेडा की आराजी खसरा संख्या 547/422 रकबा 0.4937 हेक्टे० किस्म नहरी 1 भूमि जो कि कृषि भूमि है पर अकृषि कार्य किया जा रहा है। उक्त भूमि कृषि भूमि है जबकि अप्रार्थीगण द्वारा बिना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के तथा बिना सम्परिवर्तन कराये उक्त भूमि को अकृषि उपयोग (राधिका फैमिली रिपोर्ट तीन मंजिला लगभग 30 गुना 60 एवं 15 पक्की दुकाने) संवाहित किया जा रहा है, जो कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधानों के विरुद्ध है। उक्त भूमि का बिना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के तथा बिना सम्परिवर्तन कराये कृषि से भिन्न प्रयोजन हेतु उपयोग करने के कारण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 का प्रकरण बनता है। अप्रार्थीगण के उक्त कृत्य से राज्य सरकार को अपूर्णनीय क्षति होगी जिससे पूर्ति द्रव्य में सम्भव नहीं है। राज्य सरकार की ओर से जयें तहसीलदार प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के कारण न्यायालय फीस से मुक्त है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन है कि खातेदार काश्तकार द्वारा कार्य व शर्तें भंग करने के कारण ग्राम लाम्बापीपल पटवार मण्डल रघुनाथपुरा तहसील तालेडा की आराजी खसरा संख्या 547/422 रकबा 0.4937 हेक्टे० किस्म नहरी 1 भूमि सिवायचक सरकार घोषित किया जावे तथा बेदखली के आदेश जारी किये जाकर कब्जाराज लेने के आदेश फरमाने की कृपा करे।

प्रार्थना पत्र प्रार्थी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जयें नोटिस तलब किया गया।

अप्रार्थीगण बावजूद सूचना अनुपरिखत रहने पर अप्रार्थीगण के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

बहस पेटोकार सरकार एकपक्षीय सूजी गई। दौराने बहस पेटोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी पर अकृषि कार्य किया जाकर कार्य व शर्तें भंग करने के कारण ग्राम लाम्बापीपल पटवार मण्डल रघुनाथपुरा तहसील तालेडा

ky


की आराजी खसरा संख्या 547/422 रकबा 0.4937 हैक्टे० किस्म नहरी 1 भूमि सिवायचक सरकार घोषित किया जावे तथा बेदखली के आदेश जारी किये जाकर कब्जाराज लेने के आदेश फरमाने की कृपा करे।

बहस उभयपक्ष सूनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि अप्रार्थीगण द्वारा वाद वर्णित आराजी खसरा संख्या 547/422 रकबा 0.4937 हैक्टे० किस्म नहरी 1 राम लाम्बापीपल पदवार मण्डल स्थुनाथपुरा तहसील तालेडा पर बिना किसी सशय स्वीकृति के अकृषि कार्य कर खातेदार कृषक ने कृषि जोत पर अहितकर कार्य एवं शर्त भंग का दोषी होना माना गया है किन्तु तहसीलदार तालेडा द्वारा उक्त कृषि जोत में कितने हिस्से पर किस प्रकार का अकृषि कार्य किया यथा उक्त अकृषि कार्य हेतु स्थायी रूप से निर्माण कर अकृषि कार्य किया गया अथवा अस्थायी निर्माण किया गया है। साथ ही उक्त निर्माण कितने भूभाग पर व किस प्रकृति का है के सम्बन्ध में नाप चोक व अन्य विवरण प्रार्थना पत्र में अंकित नहीं किया गया है ना ही प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने से पूर्व कृषि भूमि पर अकृषि कार्य करने पर किन नियमों के तहत क्या कार्यवाही की गई का विवरण अथवा दस्तावेज संलग्न नहीं किये गये है, ना ही तहसीलदार तालेडा द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र पेश करने से पूर्व भू-स्वामी की हैसियत से कृत कार्यवाही का विवरण संलग्न किया गया है अपूर्ण कार्यवाही के मध्यनजर न्यायालय द्वारा किसी भी प्रकार का अन्तिम निर्णय पारित किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

आदेश

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी तहसीलदार तालेडा द्वारा प्रस्तुत कार्यवाही अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अपूर्ण दस्तावेज एवं स्पष्ट रिपोर्ट के अभाव में अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। तहसीलदार तालेडा को निर्देशित किया जाता है कि नियमानुसार स्वयं के स्तर की वांछनी कार्यवाही की जाकर पूर्ण दस्तावेजों व स्पष्ट रिपोर्ट के साथ न्यायालय में पुनः प्रार्थना पत्र पेश किया जा

यह निर्णय आज दिनांक 17.03.2026 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर सरे इजलास सुन गया।


(मनसुी जरेश)
उपखण्ड अधिकारी
तालेडा